रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 1970/कार्तिक 15, 1892

No. 402] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 1970/KARTIKA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS.....

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November 1970

S.O. 3648.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby specifies the 1st December, 1970, as the day on and from which every agreement falling within clauses (a) to (j) and (l) of sub-section (1) of section 33 of the said Act shall become registrable under the said Act.

[No. 7/8/70-M(B).]

Q. M. AHMAD, Jt. Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1970

का० आ० 3648.—एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा 1-12-70 को उस दिन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस को और जिससे उक्त अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ज) तक और (ठ) के अन्तर्गत आनेवाला प्रत्येक करार उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा ।

[सं० फा० 7/8/70-एम० (I)]

क्य० एम० अहमद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970